कार्यवाही विवरण दिनांक 10/10/2025

दिनांक 10/10/2025 को मण्डी बोर्ड मुख्यालय, भोपाल के सभाकक्ष से प्रदेश की 83 कृषि उपज मंडी समितियों की उप मंडियों में ई-मंडी योजना प्रवृत्त किये जाने के सम्बन्ध में Webex के माध्यम से वर्चुअल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें प्रोग्रामर श्री संजीव अग्निहोत्री, सहायक संचालक श्री योगेश नागले, सहायक उप निरीक्षक श्री नीलेश कुमार पंथी, एप डेवेलपर श्री जाहिद कुरैशी तथा संबंधित मंडी सचिव अपने अमले के साथ उपस्थित रहे।

आयोजित बैठक में श्री योगेश नागले सहायक संचालक तथा श्री मो. जाहिद एप डेवलपर द्वारा मंडी बोर्ड की ई-मंडी योजना का प्रस्तुतिकरण पीपीटी के माध्यम से किया गया। ई-मंडी योजना में गूगल प्लेस्टोर के माध्यम से ई-मंडी ऐप को निशुल्क डाउनलोड कर मंडी समितियों में किसानों के द्वारा स्वयं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से अवगत कराया गया, जो कि ओटीपी बेस्ड है। किसान को मंडी के प्रवेश द्वार पर अपना स्वयं का नाम, पता, अपनी उपज का विवरण, ग्रेड, अनुमानित वजन की जानकारी को मंडी कर्मचारी द्वारा प्रवेश द्वार पर स्थापित कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज कर प्रवेश पर्ची जारी करने की जानकारी दी गई। ई-मंडी ऐप में कृषक को स्वयं प्रवेश पर्ची जनरेट करने की सुविधा भी दी गई है। ई-मंडी एप के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार आवश्यक निर्देश दिये गये:-

1. सभी सचिवों को उप मंडियों में ई-मंडी योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए।
2. ई-मंडी एप पर कृषकों द्वारा स्वयं सेल्फ रजिस्ट्रेशन किये जाने की सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिए गए।
3. ई-मंडी एप पर प्रवेश, अनुबंध, तौल एवं भुगतान के SMS तथा व्हाट्सएप मैसेज किसानों को एप पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होते है। उक्त व्यवस्था का व्यापक रूप से कृषकों के मध्य प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिए गए।
4. मंडी समितियां आवश्यकतानुसार आवश्यक सामग्रियों का क्रय, भंडार क्रय नियमों का पूर्णत: पालन करते हुए करेंगीं तथा अनावश्यक क्रय नहीं करेंगीं।
5. प्रवेश द्वार पर डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम विथ स्माल थर्मल प्रिंटर, इन्टरनेट विथ WIFI सिस्टम, यूपीएस तथा कर्मचारी की व्यवस्था किये जाने की कार्यवाही मंडी समिति करेंगीं।
6. कितनी नीलमी संबंधित मंडी प्रांगण में एक साथ होती है, उस अनुपात में POS मशीन जिसके स्पेसिफिकेशन एन.आई.सी. भोपाल द्वारा स्वीकृत किये गए है उक्त POS मशीन विथ सिम एवं WIFI इनेबल्ड की व्यवस्था मंडी समिति करेगी।

7. अनुज्ञप्तिधारी तुलावटियों का वन टाइम ई-मंडी एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन तथा एंड्राइड मोबाइल पर ई-मंडी एप पर तौल की फाइनल मात्रा दर्ज करने की ट्रेनिंग तुलावटियों को मंडी प्रशासन को करना है। नीलामी में POS मशीन से जारी अनुबंध की प्रति पर तुलावटी द्वारा फाइनल तौल की मात्रा पूर्व पृष्ठ पर दर्ज कराया जाना है।
8. बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौल काँटों पर तौल उपरान्त एंड्राइड मोबाइल से फाइनल तौल की मात्रा को ई-मंडी एप पर दर्ज करने का प्रशिक्षण बड़े तौल कांटे को संचालित करने वाले ऑपरेटर को मंडी समितियों को करना है।
9. सम्पूर्ण जानकारी (प्रवेश, नीलामी तथा तौल) व्यापारी के रजिस्टर्ड आईडी (ई-अनुज्ञा पोर्टल) पर प्रदर्शित होगी। व्यापारी अपने कंप्यूटर सिस्टम तथा मोबाइल से भुगतान पत्रक जारी करेंगें। व्यापारियों को ई-मंडी योजना का प्रशिक्षण यथा यूजर मैन्युअल अनुसार प्रशिक्षित करना है। उक्त कार्य मंडी समिति अपने क्षेत्रान्तर्गत करेगी।
10. मंडी प्रांगण में स्वच्छ पेय जल, साफ़-सुथरे शौचालय, कैंटीन, कृषक विश्राम गृह, आवश्यक रंगाई पुताई की उचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिए गए।
11. किसानों के मंडी में प्रवेश से लेकर उनके निकासी तक की कार्यवाही को मंडी समितियां हैण्डऑन प्रैक्टिस करेंगीं तथा आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेर की व्यवस्था स्टोर परचेस रूल अनुसार करेंगीं।
12. मंडी के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक तथा उपलब्ध लिपिकीय अमले का उपयोग ई-मंडी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु करने के निर्देश दिए गए। ई-मंडी तथा ई-अनुज्ञा योजना प्रवृत्त होने के परिणामस्वरूप मंडियों में अनेक प्रकार के मेन्यूअल कार्य, प्ररूप, पंजियों के संधारण मे कमी आई है। अत: कार्यालयीन कार्य में कार्यरत अमले का उपयोग भी ई-मंडी योजना में किये जाने के निर्देश दिए गए।
13. ई-मंडी योजना के संचालन के यूजर आईडी तथा पासवर्ड मंडी सचिवों को उपलब्ध करा दिये गए है।
14. उप मंडी के प्रवेश/ निकासी द्वार पर तथा नीलामी स्थल पर सी.सी.टी.व्ही. कैमरे क्रियाशील हो तथा रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखे जाने के निर्देश दिये गये।

प्रशिक्षण उपरान्त कर्मचारियों द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों का समाधान कारक उत्तर दिया गया तथा सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

(अपर प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

28/10/2025

(योगेश नागले)
सहायक संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./मंडी बोर्ड/आई.टी.सेल/2025-26/ 98 भोपाल,दिनांक 28 /10/2025

<u>प्रतिलिपि</u>:- <u>सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> ।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
4. श्री मुशर्रफ सुल्तान, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. भोपाल।
5. संयुक्त संचालक/सहायक संचालक (नियमन), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6. प्रोग्रामर, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
7. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)।

28/10/2025

सहायक संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल